



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 267 राँची, बुधवार,

8 जून, 2022 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)

संकल्प

6 जून, 2022

विषय : जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् (DTPC) का गठन ।

संकल्प संख्या - पर्य./विविध-55/2014 - 02--विभागीय संकल्प संख्या 663, दिनांक 30.03.2016 द्वारा राज्य के सभी जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति का गठन किया गया है। पर्यटन से संबंधित विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के पेशेवर तरीके से क्रियान्वयन/पर्यटक स्थलों के प्रबंधन, पर्यटक स्थलों के प्रबंधन हेतु स्थानीय स्तर पर आय श्रृजन (पार्किंग शुल्क, पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश शुल्क, पर्यटन संरचनाओं के संचालन आदि से), पर्यटक स्थलों के विकास व Maintenance/operation में स्थानीय ग्रामीण महिला समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने, रोजगार के नये स्रोत सृजित करने इत्यादि, हेतु इसे एक निबंधित सोसायटी (सोसाईटी निबंधन अधिनियम 1860 के तहत निबंधित) के रूप में उत्क्रमित करने की आवश्यकता को देखते हुए। एक सोसायटी के रूप में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् का गठन तथा इसके कर्तव्य / उद्देश्य / शक्तियाँ निम्नवत निर्धारित किया जाता है -

1. गठन:- परिषद् के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

1. उपायुक्त	-	अध्यक्ष
2. जिले के सभी सांसद अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
4. अध्यक्ष, जिला परिषद	-	सदस्य
5. महापौर, नगर निगम/अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर परिषद	-	सदस्य
6. पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
7. आयुक्त, नगर निगम/नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी	-	सदस्य
8. जिला के सभी वन प्रमंडलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक (वन्य जीव)-	-	सदस्य
9. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
10. जिला क्रीड़ा पदाधिकारी/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
11. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल (संबंधित जिला)	-	सदस्य
12. जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
13. JTDC के स्थानीय पदाधिकारी	-	सदस्य
14. स्थानीय होटल/रिसोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
15. ट्रेवल एजेंट/ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
16. पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले व योगदान करने वाले 03 नागरिक	-	सदस्य
17. विशेष उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य	-	सदस्य

(क्रमांक 14 से 16 तक के सदस्य शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित होंगे तथा क्रमांक 16 में वर्णित सदस्यों की अधिकतम संख्या 03 होगी।)

2. कार्यकारिणी निकाय में निम्नानुसार सदस्य होंगे:-

1. उपायुक्त	-	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
3. जिला के सभी वन प्रमंडलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी/ वन संरक्षक (वन्य जीव)	-	सदस्य
4. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य

5. अपर समाहर्ता	-	सदस्य
6. आयुक्त, नगर निगम/ नगरपालिका अथवा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी	-	सदस्य
7. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल	-	सदस्य
8. जिला क्रीड़ा पदाधिकारी/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी सचिव एवं कोषाध्यक्ष	-	सदस्य
9. जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
10. JTDC के स्थानीय पदाधिकारी	-	सदस्य
11. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी (DPRO)	-	सदस्य
12. स्थानीय होटल/रिसोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
13. ट्रेवल एजेंट/ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
14. पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले व योगदान करने वाले 03 नागरिक	-	सदस्य
15. विशेष उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य	-	सदस्य

(क्रमांक 12 से 14 तक के सदस्य शासी निकाय में क्रमांक 14 से 16 तक के हों सदस्य होंगे तथा क्रमांक 14 में वर्णित सदस्यों की अधिकतम संख्या 03 होगी)

3. बैठक :-

- शासी निकाय की बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से की जायेगी। बैठक की गणपूर्ति विशेष आमंत्रित सदस्यों को छोड़ शासी निकाय के कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी तथा इसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की गिनती नहीं की जायेगी।
- कार्यकारिणी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार हर तीन माह के अंतराल में की जायेगी। बैठक की गणपूर्ति विशेष आमंत्रित सदस्यों को छोड़ शासी निकाय के कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी तथा इसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की गिनती नहीं की जायेगी।

4. परिषद के उद्देश्य:-

- राज्य की पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- जिले में पर्यटन की संभावनाओं का पूर्ण दोहन करने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों/स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों तथा पर्यटन से जुड़े हुये हितधारियों (Stake Holders) (यथा होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर, एजेंट, गाईड) आदि के बीच समन्वय स्थापित करना।
- जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन यथा- एडवेंचर एवं नेचर कैम्प, संस्कृति महोत्सव/पर्यटन महोत्सव, फूड फेस्टिवल, विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करना।
- निजी भागीदारी से तैयार स्थानीय उत्पादों का पर्यटन की दृष्टि से मार्केटिंग करना।

- e) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष प्रयास करना यथा मानकीकरण, प्रशिक्षण आदि ।
- f) स्थानीय संसाधनों/परिसंपत्तियों के संचालन/प्रवेश शुल्क व प्राप्त अनुदान की सहायता से श्रेणी "C" एवं "D" के अधिसूचित पर्यटक स्थलों तथा विभाग द्वारा अधिकृत करने पर /विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर श्रेणी "A" एवं "B" के पर्यटक स्थलों पर सूचना-पटल (Signage)/पेयजल/शौचालय/पार्किंग आदि की सुविधाएं जुटाना व आवश्यकतानुसार जिलों के पर्यटन संभावना के अनुसार उनका समुचित विकास/सौंदर्यीकरण कराना/इसके अंतर्गत निम्न कार्य कराये जा सकते हैं -
- I. पर्यटक शेड निर्माण,
 - II. फुड कियोस्क निर्माण,
 - III. पर्यटकों के बैठने हेतु बेंच निर्माण/अधिष्ठापन,
 - IV. पर्यटक सुविधा केन्द्र (शौचालय एवं पेयजल सुविधा) निर्माण/अधिष्ठापन,
 - V. सोलर लाईट अधिष्ठापन,
 - VI. लैंडस्केपिंग कराना इत्यादि
- g) पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं रख-रखाव करना ।
- h) निजी निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हें राज्य की पर्यटन नीति के तहत हर संभव सहयोग प्रदान करना ।
- i) प्रत्येक वर्ष जिले का पर्यटन कैलेन्डर तैयार करना
 - j) जिला का वार्षिक पर्यटक आंकड़ा (पर्यटक स्थलवार) तैयार कराना ।
- k) स्थानीय संसाधनों/परिसंपत्तियों के संचालन/प्रवेश शुल्क व प्राप्त अनुदान की सहायता से श्रेणी "C" एवं "D" के अधिसूचित पर्यटक स्थलों तथा विभाग द्वारा अधिकृत करने पर/विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर श्रेणी "A" एवं "B" के अधिसूचित पर्यटक स्थलों का प्रबंधन एवं रख-रखाव करना। इसके अंतर्गत निम्न कार्य कराये जा सकते हैं -
- I. साफ-सफाई तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सफाई -सह- सुरक्षा कर्मियों को बाह्य स्रोत/SHG या अन्य समुचित माध्यम से रखा जा सकेगा, जिन्हें मानदेय या पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार के कर्मियों की संख्या स्थल के पर्यटन संभावना (स्थल का आकार तथा पर्यटकों की नियमित संख्या) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ।
 - II. पर्यटक स्थलों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए Dustbin, Bio-toilet आदि की व्यवस्था।
 - III. पर्यटक स्थलों पर निर्मित संरचनाओं के अनुरक्षण तथा मरम्मत (जैसे नल लगाना, बल्ब बदलना इत्यादि) ।
 - IV. आवश्यकतानुसार पर्यटक स्थलों पर स्थल तथा संरचनाओं के मूल स्वरूप को बदले बिना रंग-रोगन का कार्य कराना तथा Signages अधिष्ठापित कराना ।
- l) पर्यटन विकास एवं पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, पर्यटक सुविधाओं की स्थापना आदि के लिये सांसद निधि, विधायक निधि, जनभागीदारी निधि, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी अंतर्गत कंपनियों से एवं अन्य दान-दाताओं से राशि/अनुदान प्राप्त करना एवं कार्य कराना ।
- m) पर्यटक स्थलों को अधिसूचित व वर्गीकरण करने का प्रस्ताव राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को उपलब्ध कराना ।
- n) राजकीय महोत्सव घोषित करने का प्रस्ताव राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को उपलब्ध कराना ।
- o) जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् द्वारा निर्मित/को हस्तांतरित/अधिकृत परिसंपत्तियों का रख-रखाव एवं संचालन तथा विभाग द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य विभागीय परिसंपत्तियों का संचालन ।

- p) यथास्थिति, पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं के विकास, प्रबंधन एवं संधारण हेतु संबंधित एजेंसी यथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व, वन विभाग आदि को आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं अधिकृत किए जाने पर एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- q) पर्यटन विकास से संबंधित अन्य कार्य, जिनकी पर्यटन विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये, का संपादन करना।
- r) समय-समय पर विभाग द्वारा पर्यटन विकास एवं संवर्धन हेतु दिये गये अन्य कार्यों/निर्देशों का कार्यान्वयन/अनुपालन करना।
- s) पर्यटन तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ के प्रति जागृति पैदा करना तथा स्थानीय नागरिकों को पर्यटन के सहयोग हेतु तैयार करना।
- t) जिले में स्थित पर्यटन के आकर्षण के केन्द्रों के बारे में जानकारी संकलित करना तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- u) जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रेरित करना।
- v) जिले में पर्यटन संवर्धन की दिशा में अन्य कार्य।
5. विशेष आमंत्रित सदस्य - परिषद के शासी निकाय व कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष अधिकतम 03 व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे, विशेष आमंत्रित सदस्य बना सकता है।
6. सदस्यों की पात्रता - समस्त गैर सरकारी सदस्य निःशुल्क सेवा के लिए उपलब्ध होंगे अर्थात् इन्हें किसी भी प्रकार का टी.ए.व डी.ए. नहीं दिया जायेगा।
7. सदस्यता हेतु आवेदन - शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों के पद पर सदस्यता ग्रहण करने हेतु पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में रुचि/किये गये कार्यों/ रिसर्च/स्थानीय होटल/रिजॉर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि/ट्रेवल एजेंट/ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि होने के साक्ष्य आदि की विवरणी के साथ शासी निकाय के अध्यक्ष को आवेदन किया जा सकेगा। अध्यक्ष द्वारा इस हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर अध्यक्ष द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जायेगा। गैर सरकारी सदस्यों के नामितिकरण नहीं होने पर भी परिषद् अपना कार्य कर सकेगी। अध्यक्ष के पास इस प्रकार की सदस्यता देने अथवा न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. गैर सरकारी सदस्यों के लिए योग्यता -
गैर सरकारी सदस्यों (जिन्हें नामित या विशेष आमंत्रित किया जाना है) के पास निम्न योग्यता होनी चाहिए-
- a) आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- b) वह भारत का नागरिक हो।
- c) वह परिषद के नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- d) वह सदस्य हो एवं दिवालिया न हो।
- e) सजायप्राप्त न हो।
9. गैर सरकारी सदस्यों के सदस्यता की समाप्ति -
किसी प्रकार के निम्न कारण स्थापित होने पर गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी-
- a) स्वयं द्वारा परिषद के अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देने के कारण।
- b) पागल या दिवालिया हो जाने के कारण।
- c) न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के कारण।
- d) परिषद् की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। ऐसे सदस्य को अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के जवाब हेतु 1 माह का समय दिया जायेगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर शासी निकाय उस पर विचार करके उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का

निर्णय करेगी। यदि निर्धारित अवधि में नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

- e) शासी निकाय को समुचित प्रमाण मिलने या जांच करने पर यह संतोष हो जाये कि कोई सदस्य परिषद् के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या परिषद् की सम्पत्ति को हानि पहुँचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो परिषद् को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस हेतु प्रस्ताव शासी निकाय की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त होने पर परिषद् सदस्य को लिखित में सूचित करेगी।

10. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता - परिषद् के कार्यों हेतु निम्न श्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकेगा-

- परिषद् के कार्यकलापों में स्पाँन्सरशिप या दान/अनुदान से प्राप्त आय।
- विशेष प्रयोजन हेतु आयोजित कार्यक्रमों के शुल्क से प्राप्त आय।
- जन/निजी भागीदारी के आयोजनों से प्राप्त शुल्क।
- परिषद् के अधीन पर्यटक स्थलों पर विज्ञापन से प्राप्त आय।
- परिषद् की परिसंपत्तियों/पार्किंग इत्यादि के संचालन से प्राप्त आय।
- परिषद् के अधीन पर्यटक क्षेत्रों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय।
- सरकार के विभागों द्वारा अनुदान।
- भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा विशेष प्रोजेक्ट हेतु अनुदान।
- कॉर्पोरेट सोसल रेस्पंसिबिलिटी के तहत कॉर्पोरेट से प्राप्त आय/अनुदान। इसके तहत झारखण्ड कॉर्पोरेट सोसल रेस्पंसिबिलिटी नीति के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

11. परिषद् सरकारी अनुदान के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अन्य श्रोतों से आय प्राप्त करने का प्रयास/कार्रवाई करेगी।

12. परिषद् का बैंक खाता तथा पी. एल. खाता- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि के संधारण हेतु प्रत्येक परिषद् का अपना-अपना पी.एल. खाता होगा तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त आय के संधारण हेतु प्रत्येक परिषद् का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होगा। उक्त बैंक खाता का संचालन कार्यकारिणी के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से जबकि पी. एल. खाता का संचालक कोषाध्यक्ष होंगे, जो अध्यक्ष से पूर्वानुमति प्राप्त कर राशि की निकासी करेंगे।

13. संचालन - इस परिषद् का संचालन संलग्न बाईलाज अनुसार होगा जिसके कार्यसंचाल में निम्न प्रणाली होगी-

- शासी निकाय परिषद् का सर्वोच्च निकाय होगा। शासी निकाय द्वारा कार्यकारी निकाय को योजनाओं की स्वीकृति, कार्यान्वयन, वित्तीय व्यय, कर्मियों को रखना तथा सरकार/राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को अनुशंसा भेजने आदि हेतु समय समय पर निदेशित किया जा सकेगा। कार्यकारी निकाय, शासी निकाय के अधीन परिषद् का उसके उद्देश्यों हेतु योजनाओं/कार्यों का कार्यान्वयन करेगी।
- नियमित व्यय के किसी प्रस्ताव पर कार्यकारी निकाय द्वारा शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- किसी स्थल के विकास/निर्माण आदि की रु. 10 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति कार्यकारी निकाय के अनुशंसा से तथा इससे अधिक के योजनाओं की स्वीकृति शासी निकाय के अनुशंसा से किया जा सकेगा।

- d) परिषद् किसी स्थल पर विकास/निर्माण कार्य की अनुशंसा करेगी। अनुशंसा के अनुसार प्राक्कलन रु. 25.00 लाख तक के होने की स्थिति में परिषद् के पास निधि उपलब्ध होने पर उपायुक्त-सह-अध्यक्ष अनुशंसानुसार कार्य की स्वीकृति दे सकेंगे। अनुशंसा के अनुसार प्राक्कलन रु. 25.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में परिषद् के पास निधि उपलब्ध होने की स्थिति में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति देंगे। अनुशंसा के अनुसार परिषद् के पास निधि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष इस बात का उल्लेख करते हुए प्राक्कलन विभाग को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायेंगे। किसी भी स्थिति में रु. 1.00 (एक करोड़ रुपये) से अधिक की योजना विभाग स्तर से ही स्वीकृत की जायेगी।
- e) पर्यटक स्थलों के प्रबंधन व रख-रखाव आदि हेतु रु. 2 लाख तक के वार्षिक व्यय की स्वीकृति अध्यक्ष, कार्यकारी निकाय द्वारा, रु. 5.00 लाख तक के वार्षिक व्यय की स्वीकृति कार्यकारी निकाय द्वारा तथा इससे अधिक के वार्षिक व्यय की स्वीकृति शासी निकाय द्वारा दी जायेगी।
- f) परिसंपत्तियों के संचालन, उपयोग शुल्क अधिरोपण, सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त कंडिका 10 में वर्णित श्रोतों से आय के श्रृंजण हेतु कार्यकारी निकाय द्वारा कार्रवाई किया जायेगा। इस संदर्भ में शासी निकाय आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकेगा।
- g) विभाग द्वारा दिये जाने वाले दिशा निर्देशों के संदर्भ में जबतक कि विभाग द्वारा उल्लेखित न हो, निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष को परिषद् के किसी भी निकाय से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु इस प्रकार के किए गये कार्यों/कार्रवाईयों की सूचना परिषद् के कार्यकारी निकाय व शासी निकाय को अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।
- h) परिषद् के कार्य संचालन में झारखण्ड सरकार के वित्तीय नियमों तथा जहां आवश्यक हो सरकार के अन्य नियमों के अनुरूप ही कार्य संचालन किया जायेगा।
- i) किसी अधिसूचित पर्यटक स्थल के विकास की अनुशंसा शासी निकाय द्वारा की जाएगी जिसपर कार्यकारी निकाय द्वारा विकास का प्रस्ताव तैयार कराकर परिषद् में सक्षम स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।
- j) किसी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने/ अधिसूचित स्थलों के श्रेणी में परिवर्तन/ राजकीय महोत्सव घोषित करने आदि की अनुशंसा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति या विभाग को शासी निकाय के अनुमोदन से ही भेजा जा सकेगा।
- k) परिषद् के आय/अनुदान प्राप्ति हेतु समुचित कार्रवाई (प्रवेश शुल्क निर्धारण, परिसंपत्तियों का उपयोग शुल्क/लाइसेंस शुल्क निर्धारण/ विज्ञापन से आय प्राप्त करना आदि) कार्यकारी निकाय द्वारा किया जायेगा। इस संदर्भ में शासी निकाय द्वारा अनुदेश/निर्देश दिया जा सकेगा जिसका अनुपालन कार्यकारी निकाय को करना अनिवार्य होगा।

14. शासी निकाय के अधिकार व कर्तव्य -

- a) परिषद् के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- b) परिषद् की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- c) अमागी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- d) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कार्यकारिणी निकाय द्वारा प्रस्तुत हो।
- e) परिषद् द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- f) विभिन्न विषयों/ योजनाओं के कार्यान्वयन/आय के साधन/शुल्क निर्धारण आदि हेतु कार्यकारी निकाय को निदेशित करना।
- g) बजट का अनुमोदन करना।

15. कार्यकारिणी निकाय का कर्तव्य -

- जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परिषद का गठन हुआ है उसकी पूर्ति हेतु शासी निकाय के निर्णयों/निर्देशों का अनुपालन करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था/आवश्यक कार्रवाई करना।
- परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यटन विकास तथा संवर्धन हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा परिषद् में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन कराना।
- पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत करना।
- परिषद् एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि का भुगतान करना। परिषद् की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का नियमानुसार भुगतान करना।
- कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन करना।
- अन्य आवश्यक कार्य करना, जो शासी निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

16. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

- अध्यक्ष, शासी निकाय तथा कार्यकारिणी निकाय की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा शासी निकाय तथा कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा।
- अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
- आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष, परिषद् के उद्देश्यों के आलोक में कोई भी निर्णय ले सकेगा परंतु इस प्रकार के निर्णय पर परिषद् के संबंधित निकाय का विमर्शोपरांत अभिपुष्टि करा लिया जायेगा।

17. सदस्य सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

- शासी निकाय एवं कार्यकारिणी की बैठक, समय-समय पर अध्यक्ष के अनुमोदन से बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो, अध्यक्ष तथा शासी/कार्यकारी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।
- परिषद् का आय-व्यय का लेखा परीक्षण करवाना तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करके शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।
- परिषद् के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना कार्यकारिणी को देना। समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
- अध्यक्ष/कार्यकारी निकाय/शासी निकाय के अनुमोदन/निर्देशों के अनुसार परिषद् का कार्य संचालन करना/पत्राचार करना।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार -

- परिषद् की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा शासी निकाय या कार्यकारिणी/अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
- आकस्मिक व्यय की स्थिति में अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करते हुए व्यय करना।
- अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से परिषद् के बैंक खाता/पी.एल. खाता का संचालन करना।

19. सभी जिला के उपायुक्त, उक्त बाईलाज के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत कराएंगे।

20. परिषद् द्वारा यदि कोई संरचना निर्माण/अधिष्ठापन कराना हो तो ऐसी स्थिति में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जायेगा -

- यदि स्थल पर पर्यटन विभाग/झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि./भारत पर्यटन विकास निगम लि./अन्य प्राधिकार/एजेंसी द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा हो, तो वहाँ पर अतिरिक्त कार्य स्वीकृत करने के पूर्व विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- निर्माण कार्य सरकारी भूमि पर ही कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार वन विभाग/अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि उपयोग हेतु अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाएगा।
- निर्मित होने वाली संरचनाओं तक दिव्यांगों के बाधा रहित पहुँच सुनिश्चित किया जायेगा।
- चयनित स्थलों के विकास कार्य हेतु स्थलों की पर्यटन संभावना के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के अनुशंसानुसार प्राक्कलन तैयार कराकर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलनानुसार ही कार्य कराया जायेगा।
- DPR का सुत्रण, भवन निर्माण विभाग/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि. द्वारा सूचीबद्ध किसी भी एजेंसी से कराया जा सकेगा। सूचीबद्ध एजेंसी का चयन कार्यकारी पक्ष के अध्यक्ष करेंगे।
- योजनाओं का कार्यान्वयन सुविधानुसार भवन निर्माण प्रमण्डल/जल संसाधन प्रमण्डल/पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल/ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल/NREP/ग्रामीण कार्य प्रमण्डल/जिला परिषद आदि के माध्यम से कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के निर्णयानुसार कराया जा सकेगा।
- प्रचार-प्रसार व पर्यटन से संबंधित अन्य कार्यों के लिए पर्यटन निदेशालय/झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी का सहयोग लिया जा सकेगा। सूचीबद्ध एजेंसी का चयन कार्यकारी पक्ष के अध्यक्ष करेंगे।

21. परिषद् के लिए मानव संसाधन -

- परिषद् के कार्यों में सहायता हेतु जिला स्तर पर विभाग द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अनुभव/शिक्षा प्राप्त प्रोफेशनल को Contract / Out Sourcing Basis पर रखा जायेगा। यह कर्मी पर्यटन के कार्यों में सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष व अध्यक्ष को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। पर्यटन के दृष्टि से समृद्ध जिलों (जैसे-लातेहार, राँची, देवघर, दुमका, चतरा, हजारीबाग आदि) में इस प्रकार के एक Dedicated कर्मी को रखा जायेगा, जबकि पर्यटन के दृष्टि से कम समृद्ध जिलों में एक कर्मी को दो जिला का कार्य सौंपा जा सकेगा।
- उक्त कंडिका-(a) के अतिरिक्त विभागीय पूर्वानुमति से परिषद् 01 (एक) Clerk-cum-Computer Operator को Contract / Out Sourcing Basis पर रख सकती है।
- इन कर्मियों की योग्यता तथा पारिश्रमिक विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार इनके स्थापना व्यय हेतु विभाग द्वारा परिषद् को अनुदान दिया जायेगा।
- परिषद् के लिए आवश्यक मानव संसाधन का आकलन करते हुए विभाग द्वारा सक्षम स्तर (प्रशासी पदवर्ग समिति) का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही मानव संसाधन का नियोजन/परिनियोजन किया जायेगा। इस प्रस्तावित परिषद् के संचालन (मानव संसाधन को दिये जाने वाले पारिश्रमिक सहित) हेतु प्रतिवर्ष लगभग 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रुपये का वित्तीय भार होगा।
- परिषद् के मानव संसाधन का उपयोग परिषद् के अतिरिक्त विभाग द्वारा भी किया जा सकेगा।

22. परिषद् का कार्यालय -

- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी का कार्यालय ही परिषद् का कार्यालय होगा।
- कार्यालय के खर्च हेतु विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अनुदान दिया जायेगा।

23. परिषद् का लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षक तथा वित्त विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा किया जायेगा।

24. संशोधन - परिषद् के विधान में संशोधन शासी निकाय की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यह संशोधन विभाग से अनुमोदित हाने पर ही लागू होगा।
25. विघटन - इस परिषद् का विघटन विभाग के आदेश से ही हो सकेगा। विघटन के पश्चात् परिषद् की परिसम्पत्तियों को किसी अन्य निकाय/संस्थान को अंतरित करने अथवा सीधे विभाग के नियंत्रण में रखने पर विघटन के समय निर्णय लिया जायेगा।
26. सम्पत्ति - परिषद् की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति परिषद् के नाम से रहेगी। परिषद् की कोई भी सम्पत्ति बिना विभागीय अनुमति के किसी भी अन्य सरकारी संस्था को अंतरित नहीं होगी तथा किसी भी स्थिति में किसी निजी संस्था को अंतरित नहीं होगी। परिसंपत्तियों को मात्र संचालन हेतु निजी संचालकों को लाईसेंस शुल्क पर कुछ समयावधि (जैसा परिषद् सुनिश्चित करे) के लिए दिया जा सकेगा।
27. विवाद - संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से उभय पक्षों को संतोष न हो तो वह पंजीयक की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगा। पंजीयक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
28. विभागीय संकल्प संख्या-663, दिनांक-30.06.2016 द्वारा गठित जिला पर्यटन संवर्धन समिति का स्थान इस प्रस्तावित जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् द्वारा लिया जायेगा तथा विभिन्न विभागीय नियमों/नियमावलियों/निर्देशों में अंकित जिला पर्यटन संवर्धन समिति को उक्त प्रस्तावित जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् से प्रतिस्थापित समझा जायेगा। उक्त संकल्प संख्या - 663, दिनांक 30.06.2016 द्वारा गठित राज्य पर्यटन संवर्धन समिति में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। अर्थात् उक्त संकल्प द्वारा गठित राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की संरचना व दायित्व एवं शक्तियाँ यथावत् रहेंगी।
29. उक्त प्रस्ताव संबंधी विभागीय संलेख ज्ञापांक-675, दिनांक-19.04.2022 पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-11.05.2022 की बैठक के मद संख्या - 11 के रूप में स्वीकृति दी गई है।
30. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनु. - जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् का माँडल बाईजाँज

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सरकार के सचिव।

परिषद के माँडल बाईलाज

परिशिष्ट "अ" ' '

1. परिषद का नाम - जिला पर्यटन संवर्धन परिषद
2. कार्यालय-इस परिषद का प्रधान कार्यालय पता जिला में होगा।
3. इस परिषद के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -
 - a) राज्य की पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
 - b) जिले में पर्यटन की संभावनाओं का पूर्ण दोहन करने हेतु विभिन्न सरकारी विभागों/स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों तथा पर्यटन से जुड़े हुये हितधारियों (Stake Holders) (यथा होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर, एजेंट, गाईड) आदि के बीच समन्वय स्थापित करना।
 - c) जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन यथा- एडवेंचर एवं नेचर कैम्प, संस्कृति महोत्सव/पर्यटन महोत्सव, फूड फेस्टिवल, विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करना।
 - d) निजी भागीदारी से तैयार स्थानीय उत्पादों का पर्यटन की दृष्टि से मार्केटिंग करना।
 - e) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष प्रयास करना यथा मानकीकरण, प्रशिक्षण आदि।
 - f) स्थानीय संसाधनों/परिसंपत्तियों के संचालन/प्रवेश शुल्क व प्राप्त अनुदान की सहायता से श्रेणी "C" एवं "D" के अधिसूचित पर्यटक स्थलों तथा विभाग द्वारा अधिकृत करने पर /विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर श्रेणी "A" एवं "B" के पर्यटक स्थलों पर सूचना-पटल (Signage)/पेयजल/शौचालय/पार्किंग आदि की सुविधाएं जुटाना व आवश्यकतानुसार जिलों के पर्यटन संभावना के अनुसार उनका समुचित विकास/सौंदर्यीकरण कराना/इसके अंतर्गत निम्न कार्य कराये जा सकते हैं -
 - I. पर्यटक शेड निर्माण,
 - II. फुड कियोस्क निर्माण,
 - III. पर्यटकों के बैठने हेतु बेंच निर्माण/अधिष्ठापन,
 - IV. पर्यटक सुविधा केन्द्र (शौचालय एवं पेयजल सुविधा) निर्माण/अधिष्ठापन,
 - V. सोलर लाईट अधिष्ठापन,
 - VI. लैंडस्केपिंग कराना इत्यादि
 - g) पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं रख-रखाव करना।
 - h) निजी निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हें राज्य की पर्यटन नीति के तहत हर संभव सहयोग प्रदान करना।
 - i) प्रत्येक वर्ष जिले का पर्यटन कैलेन्डर तैयार करना।
 - j) जिला का वार्षिक पर्यटक आंकड़ा (पर्यटक स्थलवार) तैयार कराना।
 - k) स्थानीय संसाधनों/परिसंपत्तियों के संचालन/प्रवेश शुल्क व प्राप्त अनुदान की सहायता से श्रेणी "C" एवं "D" के अधिसूचित पर्यटक स्थलों तथा विभाग द्वारा अधिकृत करने पर/विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर श्रेणी "A" एवं "B" के अधिसूचित पर्यटक स्थलों का प्रबंधन एवं रख-रखाव करना। इसके अंतर्गत निम्न कार्य कराये जा सकते हैं -
 - I. साफ-सफाई तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सफाई -सह- सुरक्षा कर्मियों को बाह्य स्रोत/SHG या अन्य समुचित माध्यम से रखा जा सकेगा, जिन्हें मानदेय या पारिश्रमिक का भुगतान किया

जायेगा। इस प्रकार के कर्मियों की संख्या स्थल के पर्यटन संभावना (स्थल का आकार तथा पर्यटकों की नियमित संख्या) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

II. पर्यटक स्थलों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए Dustbin, Bio-toilet आदि की व्यवस्था।

III. पर्यटक स्थलों पर निर्मित संरचनाओं के अनुरक्षण तथा मरम्मत (जैसे नल लगाना, बल्ब बदलना इत्यादि)।

IV. आवश्यकतानुसार पर्यटक स्थलों पर स्थल तथा संरचनाओं के मूल स्वरूप को बदले बिना रंग-रोगन का कार्य कराना तथा Signages अधिष्ठापित कराना।

- I) पर्यटन विकास एवं पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, पर्यटक सुविधाओं की स्थापना आदि के लिये सांसद निधि, विधायक निधि, जनभागीदारी निधि, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी अंतर्गत कंपनियों से एवं अन्य दान-दाताओं से राशि/अनुदान प्राप्त करना एवं कार्य कराना।
- m) पर्यटक स्थलों को अधिसूचित व वर्गीकरण करने का प्रस्ताव राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को उपलब्ध कराना।
- n) राजकीय महोत्सव घोषित करने का प्रस्ताव राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को उपलब्ध कराना।
- o) जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् द्वारा निर्मित/को हस्तांतरित/अधिकृत परिसंपत्तियों का रख-रखाव एवं संचालन तथा विभाग द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य विभागीय परिसंपत्तियों का संचालन।
- p) यथास्थिति, पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं के विकास, प्रबंधन एवं संधारण हेतु संबंधित एजेंसी यथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व, वन विभाग आदि को आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं अधिकृत किए जाने पर एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- q) पर्यटन विकास से संबंधित अन्य कार्य, जिनकी पर्यटन विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये, का संपादन करना।
- r) समय-समय पर विभाग द्वारा पर्यटन विकास एवं संवर्धन हेतु दिये गये अन्य कार्यों/निर्देशों का कार्यान्वयन/अनुपालन करना।
- s) पर्यटन तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ के प्रति जागृति पैदा करना तथा स्थानीय नागरिकों को पर्यटन के सहयोग हेतु तैयार करना।
- t) जिले में स्थित पर्यटन के आकर्षण के केन्द्रों के बारे में जानकारी संकलित करना तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- u) जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रेरित करना।
- v) जिले में पर्यटन संवर्धन की दिशा में अन्य कार्य।

4. कार्यक्षेत्र - इस परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

5. सदस्यता - परिषद् के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे -

1. उपायुक्त	-	अध्यक्ष
2. जिले के सभी सांसद अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
3. जिले के समस्त विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
4. अध्यक्ष, जिला परिषद	-	सदस्य
5. महापौर, नगर निगम/अध्यक्ष, नगर पालिका/नगर परिषद	-	सदस्य
6. पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
7. आयुक्त, नगर निगम/नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी	-	सदस्य
8. जिला के सभी वन प्रमंडलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक (वन्य जीव)-	-	सदस्य
9. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
10. जिला क्रीड़ा पदाधिकारी/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
11. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल (संबंधित जिला)	-	सदस्य

- | | | |
|---|---|-------|
| 12. जिला परिवहन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 13. JTDC के स्थानीय पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 14. स्थानीय होटल/रिसोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 15. ट्रेवल एजेंट/ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 16. पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले व योगदान करने वाले 03 नागरिक | - | सदस्य |
| 17. विशेष उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य
(क्रमांक 14 से 16 तक के सदस्य शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित होंगे तथा क्रमांक 16 में वर्णित सदस्यों की अधिकतम संख्या 03 होगी।) | - | सदस्य |
6. कार्यकारिणी निकाय में निम्नानुसार सदस्य होंगे:-
- | | | |
|---|---|---------|
| 1. उपायुक्त | - | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3. जिला के सभी वन प्रमंडलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी/
वन संरक्षक (वन्य जीव) | - | सदस्य |
| 4. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | - | सदस्य |
| 5. अपर समाहर्ता | - | सदस्य |
| 6. आयुक्त, नगर निगम/ नगरपालिका अथवा नगर परिषद के
कार्यपालक पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल | - | सदस्य |
| 8. जिला क्रीड़ा पदाधिकारी/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी | - | सदस्य |
- सचिव एवं कोषाध्यक्ष
- | | | |
|---|---|-------|
| 9. जिला परिवहन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 10. JTDC के स्थानीय पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 11. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी (DPRO) | - | सदस्य |
| 12. स्थानीय होटल/रिसोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 13. ट्रेवल एजेंट/ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 14. पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले व योगदान करने वाले 03 नागरिक | - | सदस्य |
| 15. विशेष उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य
(क्रमांक 12 से 14 तक के सदस्य शासी निकाय में क्रमांक 14 से 16 तक के ही सदस्य होंगे तथा क्रमांक 14 में वर्णित सदस्यों की अधिकतम संख्या 03 होगी) | - | सदस्य |
7. बैठक:-
- a) शासी निकाय की बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से की जायेगी। बैठक की गणपूर्ति विशेष आमंत्रित सदस्यों को छोड़ शासी निकाय के कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी तथा इसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की गिनती नहीं की जायेगी।
- b) कार्यकारिणी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार हर तीन माह के अंतराल में की जायेगी। बैठक की गणपूर्ति विशेष आमंत्रित सदस्यों को छोड़ शासी निकाय के कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी तथा इसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की गिनती नहीं की जायेगी।
8. विशेष आमंत्रित सदस्य - परिषद के शासी निकाय व कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष अधिकतम 03 व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे, विशेष आमंत्रित सदस्य बना सकता है।

9. सदस्यों की पात्रता - समस्त गैर सरकारी सदस्य निःशुल्क सेवा के लिए उपलब्ध होंगे अर्थात् इन्हें किसी भी प्रकार का टी.ए. व डी.ए. नहीं दिया जायेगा।
10. सदस्यता हेतु आवेदन - शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों के पद पर सदस्यता ग्रहण करने हेतु पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में रुचि/किये गये कार्यों/ रिसर्च/स्थानीय होटल/रिजॉर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि/ट्रेवल एजेंट/ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि होने के साक्ष्य आदि की विवरणी के साथ शासी निकाय के अध्यक्ष को आवेदन किया जा सकेगा। अध्यक्ष द्वारा इस हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर अध्यक्ष द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जायेगा। गैर सरकारी सदस्यों के नामितिकरण नहीं होने पर भी परिषद् अपना कार्य कर सकेगी। अध्यक्ष के पास इस प्रकार की सदस्यता देने अथवा न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. गैर सरकारी सदस्यों के लिए योग्यता -
गैर सरकारी सदस्यों (जिन्हें नामित या विशेष आमंत्रित किया जाना है) के पास निम्न योग्यता होनी चाहिए-
 - a) आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
 - b) वह भारत का नागरिक हो।
 - c) वह परिषद् के नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
 - d) वह सदचरित्र हो एवं दिवालिया न हो।
 - e) सजायपत्ता न हो।
12. गैर सरकारी सदस्यों के सदस्यता की समाप्ति -
किसी प्रकार के निम्न कारण स्थापित होने पर गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी -
 - a) स्वयं द्वारा परिषद् के अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देने के कारण।
 - b) पागल या दिवालिया हो जाने के कारण।
 - c) न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के कारण।
 - d) परिषद् की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। ऐसे सदस्य को अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के जवाब हेतु 1 माह का समय दिया जायेगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर शासी निकाय उस पर विचार करके उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय करेगी। यदि निर्धारित अवधि में नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
 - e) शासी निकाय को समुचित प्रमाण मिलने या जांच करने पर यह संतोष हो जाये कि कोई सदस्य परिषद् के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या परिषद् की सम्पत्ति को हानि पहुँचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो परिषद् को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस हेतु प्रस्ताव शासी निकाय की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।
उक्त किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त होने पर परिषद् सदस्य को लिखित में सूचित करेगी।
13. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता - परिषद् के कार्यों हेतु निम्न श्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकेगा-
 - a) विशेष प्रयोजन हेतु आयोजित कार्यक्रमों के शुल्क से प्राप्त आय।
 - b) परिषद् के कार्यकलापों में स्पॉन्सरशिप या दान से प्राप्त आय।
 - c) जन/निजी भागीदारी के आयोजनों से प्राप्त शुल्क।
 - d) परिषद् के अधिन पर्यटक स्थलों पर विज्ञापन से प्राप्त आय।

- e) परिषद् की परिसंपत्तियों के संचालन से प्राप्त आय।
 - f) परिषद् के अधीन पर्यटक क्षेत्रों में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय।
 - g) सरकार के विभागों द्वारा अनुदान।
 - h) भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा विशेष प्रोजेक्ट हेतु अनुदान।
 - i) कॉरपोरेट सोसल रेस्पंसिबिलिटी के तहत कॉरपोरेट से प्राप्त आय/अनुदान। इसके तहत झारखण्ड कॉरपोरेट सोसल रेस्पंसिबिलिटी नीति के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
14. परिषद् सरकारी अनुदान के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने का प्रयास/कार्रवाई करेगी।
15. परिषद् का बैंक खाता तथा पी. एल. खाता- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि के संधारण हेतु प्रत्येक परिषद् का अपना-अपना पी.एल. खाता होगा तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के संधारण हेतु प्रत्येक परिषद् का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होगा। उक्त बैंक खाता का संचालन कार्यकारिणी के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से जबकि पी. एल. खाता का संचालक कोषाध्यक्ष होंगे, जो अध्यक्ष से पूर्वानुमति प्राप्त कर राशि की निकासी करेंगे।
16. परिषद् का कार्य संचालन -
- a) शासी निकाय परिषद् का सर्वोच्च निकाय होगा। शासी निकाय द्वारा कार्यकारी निकाय को योजनाओं की स्वीकृति, कार्यान्वयन, वित्तीय व्यय, कर्मियों को रखना तथा सरकार/राज्य पर्यटन संवर्धन समिति को अनुशंसा भेजने आदि हेतु समय समय पर निदेशित किया जा सकेगा। कार्यकारी निकाय, शासी निकाय के अधीन परिषद् का उसके उद्देश्यों हेतु योजनाओं/कार्यों का कार्यान्वयन करेगी।
 - b) नियमित व्यय के किसी प्रस्ताव पर कार्यकारी निकाय द्वारा शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - c) किसी स्थल के विकास/निर्माण आदि की रु. 10 लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति कार्यकारी निकाय के अनुशंसा से तथा इससे अधिक के योजनाओं की स्वीकृति शासी निकाय के अनुशंसा से किया जा सकेगा।
 - d) परिषद् किसी स्थल पर विकास/निर्माण कार्य की अनुशंसा करेगी। अनुशंसा के अनुसार प्राक्कलन रु. 25.00 लाख तक के होने की स्थिति में परिषद् के पास निधि उपलब्ध होने पर उपायुक्त-सह-अध्यक्ष अनुशंसानुसार कार्य की स्वीकृति दे सकेंगे। अनुशंसा के अनुसार प्राक्कलन रु. 25.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में परिषद् के पास निधि उपलब्ध होने की स्थिति में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति देंगे। अनुशंसा के अनुसार परिषद् के पास निधि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष इस बात का उल्लेख करते हुए प्राक्कलन विभाग को स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायेंगे। किसी भी स्थिति में रु. 1.00 (एक करोड़ रुपये) से अधिक की योजना विभाग स्तर से ही स्वीकृत की जायेगी।
 - e) पर्यटक स्थलों के प्रबंधन व रख-रखाव आदि हेतु रु. 2 लाख तक के वार्षिक व्यय की स्वीकृति अध्यक्ष, कार्यकारी निकाय द्वारा, रु. 5.00 लाख तक के वार्षिक व्यय की स्वीकृति कार्यकारी निकाय द्वारा तथा इससे अधिक के वार्षिक व्यय की स्वीकृति शासी निकाय द्वारा दी जायेगी।
 - f) परिसंपत्तियों के संचालन, उपयोग शुल्क अधिरोपण, सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त कंडिका 13 में वर्णित स्रोतों से आय के सृजन हेतु कार्यकारी निकाय द्वारा कार्रवाई किया जायेगा। इस संदर्भ में शासी निकाय आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकेगा।

- g) विभाग द्वारा दिये जाने वाले दिशा निदेशों के संदर्भ में जबतक कि विभाग द्वारा उल्लेखित न हो, निदेशों के अनुपालन हेतु कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष को परिषद् के किसी भी निकाय से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु इस प्रकार के किए गये कार्यों/कार्रवाईयों की सूचना परिषद् के कार्यकारी निकाय व शासी निकाय को अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।
- h) परिषद् के कार्य संचालन में झारखण्ड सरकार के वित्तीय नियमों तथा जहां आवश्यक हो सरकार के अन्य नियमों के अनुरूप ही कार्य संचालन किया जायेगा।
- i) किसी अधिसूचित पर्यटक स्थल के विकास की अनुशंसा शासी निकाय द्वारा की जाएगी जिसपर कार्यकारी निकाय द्वारा विकास का प्रस्ताव तैयार कराकर परिषद् में सक्षम स्तर से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।
- j) किसी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने/ अधिसूचित स्थलों के श्रेणी में परिवर्तन/ राजकीय महोत्सव घोषित करने आदि की अनुशंसा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति या विभाग को शासी निकाय के अनुमोदन से ही भेजा जा सकेगा।
- k) परिषद् के आय/अनुदान प्राप्ति हेतु समुचित कार्रवाई (प्रवेश शुल्क निर्धारण, परिसंपत्तियों का उपयोग शुल्क/लाइसेंस शुल्क निर्धारण/ विज्ञापन से आय प्राप्त करना आदि) कार्यकारी निकाय द्वारा किया जायेगा। इस संदर्भ में शासी निकाय द्वारा अनुदेश/निदेश दिया जा सकेगा जिसका अनुपालन कार्यकारी निकाय को करना अनिवार्य होगा।

17. शासी निकाय के अधिकार व कर्तव्य -

- a) परिषद् के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- b) परिषद् की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- c) अमागी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- d) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कार्यकारिणी निकाय द्वारा प्रस्तुत हो।
- e) परिषद् द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- f) विभिन्न विषयों/ योजनाओं के कार्यान्वयन/आय के साधन/शुल्क निर्धारण आदि हेतु कार्यकारी निकाय को निदेशित करना।
- g) बजट का अनुमोदन करना।

18. कार्यकारिणी निकाय का कर्तव्य -

- a) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परिषद् का गठन हुआ है उसकी पूर्ति हेतु शासी निकाय के निर्णयों/निदेशों का अनुपालन करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था/आवश्यक कार्रवाई करना।
- b) परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यटन विकास तथा संवर्धन हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा परिषद् में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन कराना।
- c) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत करना।
- d) परिषद् एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि का भुगतान करना। परिषद् की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का नियमानुसार भुगतान करना।
- e) कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- f) परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन करना।
- g) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो शासी निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

19. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

- अध्यक्ष, शासी निकाय तथा कार्यकारिणी निकाय की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा शासी निकाय तथा कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा।
- अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
- आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष, परिषद् के उद्देश्यों के आलोक में कोई भी निर्णय ले सकेगा परंतु इस प्रकार के निर्णय पर परिषद् के संबंधित निकाय का विमर्शोपरांत अभिपुष्टि करा लिया जायेगा।

20. सदस्य सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

- शासी निकाय एवं कार्यकारिणी की बैठक, समय-समय पर अध्यक्ष के अनुमोदन से बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो, अध्यक्ष तथा शासी/कार्यकारी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।
- परिषद् का आय-व्यय का लेखा परीक्षण करवाना तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करके शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।
- परिषद् के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना कार्यकारिणी को देना। समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
- अध्यक्ष/कार्यकारी निकाय/शासी निकाय के अनुमोदन/निर्देशों के अनुसार परिषद् का कार्य संचालन करना/पत्राचार करना।

21. कोषाध्यक्ष के अधिकार -

- परिषद् की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा शासी निकाय या कार्यकारिणी/अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
- आकस्मिक व्यय की स्थिति में अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करते हुए व्यय करना।
- अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से परिषद् के बैंक खाता/पी.एल. खाता का संचालन करना।

22. परिषद् द्वारा यदि कोई संरचना निर्माण/अधिष्ठापन कराना हो तो ऐसी स्थिति में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जायेगा -

- यदि स्थल पर पर्यटन विभाग/झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि./भारत पर्यटन विकास निगम लि./अन्य प्राधिकार/एजेंसी द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा हो, तो वहाँ पर अतिरिक्त कार्य स्वीकृत करने के पूर्व विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- निर्माण कार्य सरकारी भूमि पर ही कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार वन विभाग/अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि उपयोग हेतु अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाएगा।
- निर्मित होने वाली संरचनाओं तक दिव्यांगों के बाधा रहित पहुँच सुनिश्चित किया जायेगा।
- चयनित स्थलों के विकास कार्य हेतु स्थलों की पर्यटन संभावना के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के अनुशंसानुसार प्राक्कलन तैयार कराकर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलनानुसार ही कार्य कराया जायेगा।
- DPR का सुत्रण, भवन निर्माण विभाग/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि. द्वारा सूचीबद्ध किसी भी एजेंसी से कराया जा सकेगा। सूचीबद्ध एजेंसी का चयन कार्यकारी पक्ष के अध्यक्ष करेंगे।
- योजनाओं का कार्यान्वयन सुविधानुसार भवन निर्माण प्रमण्डल/जल संसाधन प्रमण्डल/पेयजल स्वच्छता प्रमण्डल/ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल/NREP/ग्रामीण कार्य प्रमण्डल/जिला परिषद् आदि के माध्यम से कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष के निर्णयानुसार कराया जा सकेगा।

- g) प्रचार-प्रसार व पर्यटन से संबंधित अन्य कार्यों के लिए पर्यटन निदेशालय/झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा सूचीबद्ध एजेन्सी का सहयोग लिया जा सकेगा। सूचीबद्ध एजेन्सी का चयन कार्यकारी पर्षद के अध्यक्ष करेंगे।

23. परिषद् के लिए मानव संसाधन -

- परिषद् के कार्यों में सहायता हेतु जिला स्तर पर विभाग द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अनुभव/शिक्षा प्राप्त प्रोफेशनल को Contract / Out Sourcing Basis पर रखा जायेगा। यह कर्मी पर्यटन के कार्यों में सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष व अध्यक्ष को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। पर्यटन के दृष्टि से समृद्ध जिलों (जैसे-लातेहार, राँची, देवघर, दुमका, चतरा, हजारीबाग आदि) में इस प्रकार के एक Dedicated कर्मी को रखा जायेगा, जबकि पर्यटन के दृष्टि से कम समृद्ध जिलों में एक कर्मी को दो जिला का कार्य सौंपा जा सकेगा।
- उक्त कंडिका-(a) के अतिरिक्त विभागीय पूर्वानुमति से परिषद् 01 (एक) Clerk-cum-Computer Operator को Contract / Out Sourcing Basis पर रख सकती है।
- इन कर्मियों की योग्यता तथा पारिश्रमिक विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार इनके स्थापना व्यय हेतु विभाग द्वारा परिषद् को अनुदान दिया जायेगा।
- परिषद् के लिए आवश्यक मानव संसाधन का आकलन करते हुए विभाग द्वारा सक्षम स्तर (प्रशासी पदवर्ग समिति) का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही मानव संसाधन का नियोजन/परिनियोजन किया जायेगा। इस प्रस्तावित परिषद् के संचालन (मानव संसाधन को दिये जाने वाले पारिश्रमिक सहित) हेतु प्रतिवर्ष लगभग 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रुपये का वित्तीय भार होगा।
- परिषद् के मानव संसाधन का उपयोग परिषद् के अतिरिक्त विभाग द्वारा भी किया जा सकेगा।

24. परिषद् का कार्यालय -

- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी का कार्यालय ही परिषद् का कार्यालय होगा।
- कार्यालय के खर्च हेतु विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अनुदान दिया जायेगा।

- लेखा परीक्षण- परिषद् का लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षक तथा वित्त विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा किया जायेगा।
- संशोधन - परिषद् के विधान में संशोधन शासी निकाय की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यह संशोधन विभाग से अनुमोदित होने पर ही लागू होगा।
- विघटन - इस परिषद् का विघटन विभाग के आदेश से ही हो सकेगा। विघटन के पश्चात् परिषद् की परिसम्पत्तियों को किसी अन्य निकाय/संस्थान को अंतरित करने अथवा सीधे विभाग के नियंत्रण में रखने पर विघटन के समय निर्णय लिया जायेगा।
- सम्पत्ति - परिषद् की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति परिषद् के नाम से रहेगी। परिषद् की कोई भी संपत्ति बिना विभागीय अनुमति के किसी भी अन्य सरकारी संस्था को अंतरित नहीं होगी तथा किसी भी स्थिति में किसी निजी संस्था को अंतरित नहीं होगी। परिसंपत्तियों को मात्र संचालन हेतु निजी संचालकों को लाईसेन्स शुल्क पर कुछ समयावधि (जैसा परिषद् सुनिश्चित करे) के लिए दिया जा सकेगा।
- विवाद - संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से उभय पक्षों को संतोष न हो तो वह पंजीयक की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगा। पंजीयक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
